

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... सरगम

दिनांक :- 05/06/23

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टावारी ... लीगंच ... व
भू-अभिलेख निरीक्षक ... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आदेश पर ...
भू- राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ... तहसील कपासन जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 366
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	लीगंच	366	शंकर पुत्र लोचनचंद	शंकरलाल पुत्र लोचनचंद

(*[Signature]*)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

क्रमांक / 111 / 05/06/2023
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजायाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

(*[Signature]*)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

